तीन मंजिला अवैध निर्माण सीज

जयपुर। नगर निगम के सिविल लाइंस जोन की टीम ने मंगलवार को विवेक विहार मेट्रो स्टेशन के पास एक अवैध निर्माण को सीज किया। निगम अधिकारियों ने बताया कि भूखंड पर नियमों के विपरीत बेसमेंट सहित तीन मंजिला भवन का निर्माण किया जा रहा था। सिविल लाइंस जोन के उपायुक्त सुनील कुमार बैरवा ने बताया कि विवेक विहार मेट्रो स्टेशन के पिलर नंबर-87 के सामने स्थित गोवर्धन कॉलोनी के भूखंड संख्या एफ-6 निर्माण निर्धारित नियमों और स्वीकृत मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा था।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार संबंधित भूखंड मालिक को पहले भी नोटिस जारी कर निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद मौके पर निर्माण कार्य जारी रखा गया। बार-बार चेतावनी और नोटिस की अवहेलना किए जाने के बाद निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए भवन को सीज करने की कार्रवाई की।

डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 24 लाख रुपए ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश

कजाकिस्तान से एमबीबीएस कर लौटे डॉक्टर समेत दो आरोपी गिरफ्तार

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजधानी जयपुर की श्याम नगर थाना पुलिस और जिला विशेष टीम (डीएसटी) दक्षिण ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में कजाकिस्तान से एमबीबीएस कर चुका गणेश चौधरी और उसके सहयोगी दुष्यंत जांगिड़ शामिल हैं। गिरोह महिला डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर 24 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में वांछित था।

■ आरोपियों के कब्जे से 32 डेबिट कार्ड और बैंकिंग दस्तावेज बरामद

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) राजर्षि राज ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी गणेश चौधरी (29) निवासी कोतवाली बाड़मेर हाल वैशाली उत्सव अपार्टमेंट, करणी विहार तथा दुष्यंत जांगिड़ (32) निवासी हसनपुरा सदर हैं। गणेश गिरोह का प्रमुख सदस्य है, जबकि दुष्यंत साइबर अपराधियों को बैंक खाते उपलब्ध कराने का काम करता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 32 डेबिट कार्ड, 12 चेकबुक, 9 पासबुक, 8 सिम कार्ड, 2 रबर स्टाम्प, 5 मोबाइल फोन तथा 1.27 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं।

महिला डॉक्टर से 24 लाख की ठगी

सहायक पुलिस आयुक्त (सोडाला) सुनील प्रसाद शर्मा के अनुसार श्याम नगर थाने में 22 दिसंबर 2025 को डॉ. सुरेखा लोबा ने मामला दर्ज कराया था। उन्होंने शिकायत में बताया कि 15 दिसंबर को व्हाट्सएप कॉल और संदेशों के जरिए उन्हें डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाया गया। खुद को सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर ठगों ने उन्हें और उनके परिवार को गिरफ्तार करने की धमकी दी तथा भयभीत कर 24 लाख रुपए विभिन्न बैंक खातों में आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर करवा लिए।

विदेश में पढ़ने वाले छात्रों के खातों का करते थे इस्तेमाल

जांच में सामने आया कि आरोपी विदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के बैंक खातों का दुरुपयोग करते थे। इन खातों में ठगी की रकम जमा कर क्रिप्टो करेंसी यूएसडीटी (यूएस डॉलर टेथर) खरीदी जाती थी, जिससे रकम का स्त्रोत छिपाया जा सके। बाद में यूएसडीटी को ऑनलाइन बेचकर राशि अन्य खातों में राशि स्थानांतरित कर दी जाती थी। पुलिस के अनुसार गिरोह के खिलाफ देशभर में साइबर पोर्टल पर 100 से अधिक शिकायतें दर्ज हैं। आरोपियों द्वारा विभिन्न राज्यों में बैंक खाते किराए पर लेकर उनमें ठगी की रकम जमा कराई जाती थी।

कजाकिस्तान से पढ़ाई कर लौटे आरोपी

डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि गणेश चौधरी वर्ष 2021 में कजाकिस्तान से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर भारत लौटा था। उसने सिरोही के सरकारी अस्पताल में इंटर्नशिप भी की। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह का फरार मास्टरमाइंड सुनील विश्नोई उर्फ कार्तिक भी कजाकिस्तान से एमबीबीएस कर चुका है।

फर्जी दस्तावेजों से खुलवाए खाते

पुलिस के अनुसार मास्टरमाइंड सुनील विश्नोई फर्जी नाम-पते से आधार कार्ड बनवाकर विभिन्न बैंकों में खाते खुलवाता था। किरायानामों के आधार पर पते बदलकर खोले गए इन खातों का उपयोग साइबर ठगी की रकम को ठिकाने लगाने में किया जाता था।

तकनीकी जांच से मिली सफलता

सहायक पुलिस आयुक्त (सोडाला) सुनील प्रसाद शर्मा के सुपरविजन में श्याम नगर थानाधिकारी दलबीर सिंह और डीएसटी प्रभारी विशम्भर दयाल के नेतृत्व में गठित टीम ने बैंक खातों और डिजिटल ट्रांजेक्शन की तकनीकी जांच की। जांच के दौरान दिल्ली के करोल बाग स्थित बैंक खातों की कड़ियां मिलने पर कार्रवाई आगे बढ़ाई गई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।पुलिस फरार मास्टरमाइंड सुनील विश्नोई समेत गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। मामले में साइबर अपराध, धोखाधड़ी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में जांच जारी है।

राजस्थान में 3 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को 426 करोड़ रुपये का ऋण वितरण

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ''पीएम स्वनिधि योजना'' बनी आत्मनिर्भरता की नई पहचान

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना का प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है। यह योजना लाखों रेहड़ी-पटरी एवं फुटपाथ विक्रेताओं को आर्थिक संबल तो प्रदान कर ही रही है, साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी उपलब्ध करा रही है।

प्रदेश में योजना के तहत पात्र 3 लाख 62 हजार 565 आवेदकों में से अब तक 3 लाख 6 हजार 255 लाभार्थियों को 439 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है। इनमें से 3 लाख से अधिक लाभार्थियों को 428 करोड़ 93 लाख रुपये से अधिक की राशि का ऋण वितरण भी किया जा चुका है। यह उपलब्धि प्रदेश की डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता और प्रभावी कार्यान्वयन का सशक्त प्रमाण है।

उल्लेखनीय है कि अब तक प्रदेश के 1.64 लाख से अधिक स्वनिधि योजना के लाभार्थियों ने समय पर अपना ऋण चुकाकर आर्थिक अनुशासन और आत्मसम्मान का प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है। पीएम स्वनिधि योजना समय पर और शीघ्र ऋण चुकाने को प्रोत्साहित करती है। इसके तहत लाभार्थियों को 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। राजस्थान में समय पर ऋण पुनर्भुगतान करने वाले लाभार्थियों के खातों में अब तक 6.57 करोड़ रुपये से अधिक की ब्याज सब्सिडी सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। इसके अलावा, अपने ऋण को समय पर चुकता करने वाले रेहडी पटरी लगाने वाले विक्रेता अगले चरण में अधिक राशि के ऋण के लिए पात्र हो जाते हैं।

■ 6 करोड़ से अधिक की ब्याज सब्सिडी और 10 करोड़ से अधिक कैशबैक से किया गया लाभान्वित

■ लाखों परिवारों के जीवन में आया सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक बदलाव

पीएम स्वनिधि योजना की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जयपुर शहर में 60 हजार से अधिक तो वहीं, जोधपुर शहर में 18 हजार से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स ने इस योजना के लिए आवेदन किया है। इतना ही नहीं बीकानेर शहर में 14 हजार 68 , अजमेर शहर में 13 हजार 165, उदयपुर शहर में 10 हजार 665 सहित भीलवाड़ा, अलवर, श्रीगंगानगर, भरतपुर, हनुमानगढ़, ब्यावर और सवाईमाधोपुर शहरों के अलावा बाड़मेर, मकराना, दौसा, जैसलमेर, बालोतरा, सरदारशहर, राजसमंद, झालावाड़ा, सूरतगढ़, करौली सरीखे छोटे निकायों में भी हजारों की संख्या में स्ट्रीट वेंडर्स इस योजना के लाभांवित हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में अब तक 84 फीसदी से अधिक आवेदकों को योजना के तहत ऋण स्वीकृत किया जा चुका है वहीं, शेष आवेदकों को ऋण वितरण के लिए आवश्यक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

खाद्य सचिव अंबरीश कुमार के जमानती वारंट जारी

जयपुर। राज्य सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने सेवा संबंधी मामले में दिए अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर खाद्य सचिव अंबरीश कुमार को जमानती वारंट से तलब किया है। इसके साथ ही अधिकरण ने उन्हें 12 जून को हाजिर होने के आदेश दिए हैं। अधिकरण ने यह आदेश सरोज मीणा के अवमानना प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए।

पीठासीन अधिकारी पूरम दरगन और प्रकाश चन्द्र शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि गत 4 जून को खाद्य सचिव अंबरीश कुमार को अधिकरण के समक्ष पेश होने के आदेश दिए गए थे। इस संबंध में जारी समन की तामील भी अंबरीश कुमार पर हो गई है। इसके बावजूद वे अधिकरण के समक्ष पेश नहीं हुए और ना ही उनकी ओर से अधिकरण में गैरहाजिर होने के संबंध में कोई कारण बताया गया।

31 साल पहले हटाए गए सैन्य कर्मी को पेंशन देने के आदेश

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब 31 साल पहले सेवा से हटाए गए सैन्यकर्मी को दिव्यांग पेंशन देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने माना कि कि याचिकाकर्ता सेना में भर्ती होते समय स्वस्थ था और सेवा के दौरान वह बीमार हुआ। इसलिए माना जाएगा की बीमारी सैन्य सेवा के दौरान उत्पन्न हुई। ऐसे में मेडिकल बोर्ड नहीं बनाना प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। अब मेडिकल बोर्ड बनाना संभव नहीं है, ऐसे में याचिकाकर्ता को याचिका दायर करने की तारीख से तीन साल पहले से बकाया पेंशन दी जाए। जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस रवि चिरानिया की खंडपीठ ने यह आदेश ओमप्रकाश की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।याचिका में अधिवक्ता असलम खान ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता जून, 1984 में सेना में सिपाही के तौर पर नियुक्त हुआ था। करीब 11 साल की सेवा के बाद जून, 1995 को उसे अनडिजायरेबल सोल्जर मानते हुए सेवा से हटा दिया था। जिसे याचिकाकर्ता ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण में चुनौती दी थी। न्यायाधिकरण की ओर से अगस्त, 2022 में याचिका को देरी के आधार पर खारिज करने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया कि सेवा के दौरान वह गंभीर बीमार हो गया था। ऐसे में उसकी वास्तविक स्थिति को छिपाया गया और उसे सेना से हटाते हुए पेंशन से वंचित कर दिया गया। जबकि सेना ने इसके लिए मेडिकल बोर्ड भी नहीं बनाया। इसके अलावा दस साल की सेवा पूरी होने पर वह दिव्यांग पेंशन का अधिकारी है। इसका विरोध करते हुए सेना की ओर से कहा गया कि उसके रिकॉर्ड में पांच नकारात्मक एंट्री होने के चलते उसे पेंशन से वंचित किया गया है और याचिका भी देरी से पेश हुई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को पेंशन

नाम परिवर्तन

मैंने भविष्य में सभी उद्देश्यों के लिए अपना नाम श्रीमती गगन खन्ना से बदलकर श्रीमती गगन बी खन्ना कर लिया है। पता- ए-1 उगम पथ बनीपार्क जयपुर।

मैंने मेरा नाम कमलेश कुमार से बदलकर कमलेश सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री प्रेम सिंह रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें। मु.पो. मादा, तह. देसूरी पाली।

मैंने अपना नाम नम्या से बदलकर नम्या डेम्बला पुत्री श्री दीपक डेम्बला रख लिया है। निवासी फ्लैट नंबर 707 बी-ब्लॉक ओके प्लस वीनस प्लॉट नंबर एस-19 श्री किशनपुरा सेंट्रल स्पाइन जगतपुरा जयपुर। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जाए।

मैंने अपना नाम वैष्णवी से बदलकर वैष्णवी डेम्बला पुत्री श्री दीपक डेम्बला रख लिया है। निवासी फ्लैट नंबर 707 बी-ब्लॉक ओके प्लस वीनस प्लॉट नंबर एस-19 श्री किशनपुरा सेंट्रल स्पाइन जगतपुरा जयपुर। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जाए।

I army no. JC-342326W Ex N SUB mohabbat singh resident of 185-N Gokulpura kami uma vihar jhotwara jaiur that i want to change name of my souse From PUSPA TO PUSHPA KANWAR vide affidavit dated 1 June 2026 before sub divisional majistrate Jaipur city south

अवैध कॉलोनी हटाई

जयपुर। जेडीए ने जोन-14 में ग्राम वाटिका सिमलिया रोड निजी खातेदारी की करीब 3 बीघा भूमि से अवैध कॉलोनी हटाई।

जेजेएम घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी का प्रार्थना पत्र खारिज

जयपुर। एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए के घोटाले से जुड़े मामले में तत्कालीन जलदाय मंत्री महेश जोशी के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। जोशी ने प्रार्थना पत्र में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए रिहा करने के गुहार की थी। पीठासीन अधिकारी राजेश कुमार दडिया ने अपने आदेश में कहा कि महेश जोशी को हिरासत में लेते समय उनके परिजन मौजूद थे। इसके बाद जोशी को गिरफ्तार करते समय फोन के जरिए उनके बेटे को सूचना दी गई थी। इसके अलावा आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड मांगते समय यह प्रार्थना पत्र स्वयं आरोपी के अधिवक्ता ने पेश किया था। ऐसे में आरोपी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि कानून के प्रावधानों के अनुसार आरोपी को गिरफ्तार और रिमांड पर लेते समय इसकी लिखित जानकारी और आधार आरोपी के परिजनों या उसके वकील को देना बाध्यकारी है। यह प्रक्रिया नहीं अपनाने पर गिरफ्तारी अवैध हो जाती है। प्रार्थी के मामले में भी इस प्रावधान की पालना नहीं हुई है। ऐसे में अवैध गिरफ्तारी होने के कारण उसे रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक मंजुला जैन ने कहा कि गत 6 मई को एसीबी ने एक हुकमनामा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेन्द्र को देकर निर्देश दिया गया कि महेश जोशी को डिटेन किया जाए। इसमें हुकमनामा में गिरफ्तारी के आधार और आरोप लिखे गए थे। इसकी पालना में 7 मई को जोशी को घर से हिरासत में लिया गया। इस दौरान उनके परिजन मौके पर पर मौजूद थे। इसके बाद एसीबी मुख्यालय पहुंच कर उन्हें गिरफ्तार किया गया और उसकी सूचना आरोपी के बेटे के मोबाइल पर दी गई। इसके बाद गिरफ्तारी की सूचना पुनः उनके बेटे को दी गई। अभियोजन पक्ष की ओर से यह भी बताया गया कि आरोपी को अदालत में पेश करने के लिए रवाना होते समय भी इसकी सूचना परिजनों को दी गई और अदालत पहुंचने के बाद भी फिर से उनके बेटे को सूचना दी गई। गिरफ्तारी की फर्द में गिरफ्तारी के आधार स्पष्ट रूप से लिखे गए थे।

■ जोशी ने प्रार्थना पत्र में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए रिहा करने के गुहार की थी

जिस पर उच्च शिक्षित और कैबिनेट मंत्री रहे महेश जोशी के हस्ताक्षर हैं। ऐसे में इस आधार पर उन्हें रिहा नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों की बहस सुनने के सुनने के बाद अदालत ने जोशी के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि समान आधार पर जोशी के बेटे रोहित जोशी ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। जिस पर बुधवार को सुनवाई होनी है।

राज्यसभा चुनाव 2026 : सभी 9 नामांकन पत्र सही पाए गए

जयपुर। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचन के तहत दाखिल किए गए सभी नौ नामांकन पत्रों की मंगलवार को विधानसभा परिसर में जांच की गई। जांच के दौरान सभी नामांकन पत्र वैध और सही पाए गए।

रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण शर्मा ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी नीरज डांगी द्वारा दाखिल तीन नामांकन पत्रों तथा भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अलका सिंह के दो और भाजपा प्रत्याशी डॉ. सतीश पूनिया के चार नामांकन पत्रों की विस्तार से जांच की गई। यह प्रक्रिया अभ्यर्थियों, प्रस्तावकों और निर्वाचन अभिकर्ताओं की उपस्थिति में संपन्न हुई। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान नामांकन पत्रों में दर्ज सभी आवश्यक दस्तावेजों और औपचारिकताओं का बारीकी से परीक्षण किया गया। सभी नामांकन पत्र निर्वाचन आयोग के निर्धारित नियमों और मानकों के अनुरूप पाए गए, जिसके चलते किसी भी नामांकन को निरस्त नहीं किया गया।

आम सूचना वाके शहर जयपुर पुराना आमेर रोड स्थित मकान नं. 266 में मेरे अभिभाष्य ज्ञानप्रकाश को उनके पिताजी द्वारा जो भी मकानात वसीयत किये गये है उसमें से कोई भाग बेचान/ ट्रांसफर नहीं किया है। इन सम्पत्तियों में नवनिर्माण, परिवर्तन मेरा अभिभाष्य करा रहा है। इसमें किसी को आपत्ति हो तो सात दिन में सप्रमाण लिखित दस्तावेज सहित पेश करें। बाद गुजरने मियाद कोई भी आपत्ति अमान्य होगी।

दिनांक:3/6/2026

अशोक देवानी, एडवोकेट मोबाईल-9829064041

खोया पाया

आवास संख्या 62/151 मानसरोवर जयपुर का मूल कब्जा पत्र गिर/गुम हो गया मिलने पर सूचित करें। भगवानी मो. 9252895438

कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर
(पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर-15)
(राजस्व-द्वितीय प्रकोष्ठ)

क्रमांक- एफ-5 ( ) उपा. राज.-द्वितीय (सा.प्र.)/ननिज/2026/214

सार्वजनिक सूचना दिनांक- 03.06.2026

मूल भूखण्ड संख्या डी-12 मोती डूंगरी योजना, जयपुर का इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जयपुर द्वारा श्री आदित्येन्द्र चतुर्वेदी के नाम से क्षेत्रफल 638.65 वर्गमीटर भूमि का आवंटन/पट्टा जारी किया गया था। दिनांक 01.01.1980 को नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा भूखण्ड संख्या डी-12, मोती डूंगरी विस्तार, जयपुर क्षेत्रफल 638.65 वर्गमीटर श्री आदित्येन्द्र चतुर्वेदी पुत्र श्री सांवल प्रसाद चतुर्वेदी के नाम से पट्टा जारी किया गया। दिनांक 28.02.1980 को श्री आदित्येन्द्र चतुर्वेदी पुत्र स्व. श्री सांरस प्रसाद चतुर्वेदी द्वारा भूखण्ड संख्या डी-12, मोती डूंगरी विस्तार योजना, जयपुर क्षेत्रफल 319.32 वर्गमीटर श्री शुभकरण शर्मा पुत्र श्री रामकुमार शर्मा को बेचान किया गया। दिनांक 25.01.1982 को नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा भूखण्ड संख्या डी-12, मोती डूंगरी योजना, जयपुर क्षेत्रफल 638.65 वर्गमीटर में से भूखण्ड संख्या डी-12-ए का क्षेत्रफल 319.19 वर्गमीटर एवं भूखण्ड संख्या डी-12-बी का क्षेत्रफल 319.32 वर्गमीटर 1. श्री आदित्येन्द्र चतुर्वेदी, 2. श्री एस.के. शर्मा के नाम से उपविभाजन पत्र जारी किया गया। दिनांक 22.11.2018 को श्री आदित्येन्द्र चतुर्वेदी पुत्र श्री सांवल प्रसाद चतुर्वेदी की मृत्यु हो गई। दिनांक 29.06.2023 को श्रीमती कमला चतुर्वेदी पत्नी स्व. श्री आदित्येन्द्र चतुर्वेदी द्वारा भूखण्ड संख्या डी-12-ए, की वसीयत अपनी इकलोती पुत्री श्रीमती श्रीयुक्ता पाण्डे के पक्ष में निष्पादित की गई। दिनांक 25.03.2025 को श्रीमती कमला चतुर्वेदी पत्नी श्री आदित्येन्द्र चतुर्वेदी की मृत्यु हो गई। आवेदक द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड पट्टे की प्रति, उपविभाजन स्वीकृति पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, नोटेरी प्रमाणित वसीयतनामा, पत्रावली पुनर्गठन स्वीकृति प्राप्त अण्डरटेकिंग एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड का नगर निगम, जयपुर द्वारा श्रीयुक्ता पाण्डेय पुत्री स्व. श्री आदित्येन्द्र के पक्ष में क्षेत्रफल 381.74 वर्गगज का नाम हस्तान्तरण जारी किया जाना है। इस नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, राजस्व-द्वितीय) में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद नियमानुसार नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।

उपायुक्त (राजस्व-द्वितीय) नगर निगम, जयपुर

कार्यालय उपायुक्त, (झोटवाडा जोन/ वैशाली नगर जोन) नगर निगम, जयपुर
(तारानगर- डी खिरणी फाटक, झोटवाडा जयपुर)

क्रमांक:-एफ-3( ) झो. जोन/ वै.न. जोन/ ज.न.नि./ 2026/306

सार्वजनिक सूचना दि.06.06.2026

भूखण्ड संख्या 72 महात्मा गांधी नगर, अजमेर रोड जयपुर (आनन्द भवन गृह निर्माण सहकारी समिति) जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा श्री पवन कुमार शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मण दास शर्मा के पक्ष में क्षेत्रफल 272.22 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख क्रमांक 1843 दिनांक 05.10.2001 को जारी किया गया था। सादा पेपर पर वसियतनाम दिनांक 03.02.2005 के आधार पर आवेदिका श्रीमती रिता शर्मा पत्नी श्री स्व: श्री पवन कुमार शर्मा जिसका क्षेत्रफल 272.22 वर्गगज का नाम हस्तानान्तरण चाहा हैं। श्रीमती रिता शर्मा पत्नी श्री स्व. श्री पवन कुमार शर्मा नाम हस्तानान्तरण को जारी किये जाने बाबत् किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में अद्योहस्ताक्षकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, झोटवाडा/ वैशाली नगर जोन) में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद नियमानुसार नाम हस्तानान्तरण जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।

उपायुक्त
झोटवाडा/ वैशाली नगर जोन, नगर निगम जयपुर

न्यायालय श्रीमान् अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नं. 2 हिण्डौन सिटी
पीठासीन अधिकारी श्री सुमरथ लाल मीना
आर.एच.जे.एस.

लोकेश विजय वगै. बनाम हरखास आम वगै. 254/30.5.26 Cm.16/26

नोटिस हरखास आम

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि लोकेश विजय पुत्र स्व. श्री रामजीलाल विजय व सीमा विजय पत्नी लोकेश विजय, निवासी शीतला कॉलोनी, हिण्डौन सिटी, जिला करौली (राज.) ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपने मृतक पुत्र स्व. अंशुल विजय की पीएनबी, एसबीआई बैंक, उपडाकघर में जमा करवाई गयी राशि व एफडीआर की राशि एवं भारतीय जीवन बीमा निगम व टाटा ए.आई.ए. लाई इन्श्योरेन्समें डेथ क्लेम पॉलिसियों की राशि को प्राप्त करने हेतु माननीय न्यायालय में प्रार्थनापत्र बाबत उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त करने प्रार्थनापत्र पेश किया है। लिहाजा जिस किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने में आपत्ति हो तो वह अपनी उपस्थित इस न्यायालय में दिनांक 09.07.2026 को समय 10:30 को असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, वरना गुजरने उक्त दिनांक कोई आपत्ति स्वीकार नही होगी एवं प्रार्थना-पत्र एकतरफा में सुनकर फैसला कर दिया जावेगा। मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 30.5.2026 को जारी किया गया।

(मुहर) आज्ञा से- रीडर
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
क्रम-2 हिण्डौन सिटी जिला करौली

कार्यालय उपायुक्त झोटवाडा जोन वैशाली नगर जोन नगर निगम, जयपुर

सार्वजनिक सूचना तारानगर डी खिरणी फाटक, झोटवाडा जयपुर

क्रमांक: एफ 3()झो./वै0जो0/2026/310 दिनांक 08.06.2026

यह है कि भूखण्ड संख्या - 6, देवी नगर विस्तार, हरनाथपुरा जयपुर का पट्टा श्री नरपत सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 253.66 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया था। मूल पट्टाधारी श्री नरपत सिंह द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर भूखण्ड का पूर्वी हिस्सा क्षेत्रफल 129.22 वर्गगज का बेचान श्री बदर युसुफ खोकर पुत्र श्री मोहम्मद युसुफ एवं पश्चिमी हिस्सा क्षेत्रफल 124.44 वर्गगज का बेचान श्री जासिम पुत्र श्री अब्दुल नासिर को किया गया। क्रेता श्री बदर युसुफ खोकर द्वारा उक्त भूखण्ड के विभाजित भाग 129.22 वर्गगज का बेचान जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती अरुणा राजपुत पत्नी श्री विष्णु प्रताप सिंह को बेचान कर दिया गया। अन्य भाग भूखण्ड का पश्चिमी हिस्सा जिसे प्लॉट नं. 6-ए, के नाम से अंकित किया गया है। जिसको श्री जासिम पुत्र श्री अब्दुल नासिर ने क्रय किया था । उसका बेचान विक्रय पत्र के आधार पर श्री नरपत सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह क्षेत्रफल 124.44 वर्गगज का किया गया। इस प्रकार आवेदिका श्रीमती अरुणा राजपुत एवं श्री नरपत सिंह द्वारा उक्त भूखण्ड का अलग-अलग उपविभाजन चाहा गया है। जिसके सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति तो 7 दिवस में अधोहस्ताक्षर्कर्ता के कार्यालय (उपायुक्त झोटवाडा जोन) में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद नियमानुसार उप विभाजन जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी ।

सहायक नगर नियोजक झोटवाडा, जोन, नगर निगम जयपुर

नम्बर मिलाइए 8890333139

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, (''ब'' श्रेणी) देवली (टोंक-राज.)

क्रमांक :- 248 - 254 दिनांक :- 05/06/2026

बोली आमंत्रण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति देवली में मण्डी प्रागंण में मोबाईल क्लीनिंग सोर्टिंग मशीन (3 TPH) का 2 वर्ष के लिये संचालन हेतु खुली बोली के माध्यम से व्यापार संघ एवं मण्डी समिति के अनुज्ञापत्रधारी व्यापारी, एफपीओ/एफपीसी/क्रय विक्रय सहकारी समिति/सेवाप्रदाता/अन्य से अनुबन्ध कर सकेगे, खुली निलामी बोली हेतु आमंत्रित किया जाता है :-

क्र. सं.	कार्य / सेवा का नाम	आरक्षित बोली राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क	बोली में भाग लेने हेतु प्रतिभूति राशि	निविदा फार्म विक्रय करने की तिथि व समय	निविदा प्रपत्र मय प्रतिभूति राशि प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय	बोली लगाये जाने की तिथि स्थान व समय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मण्डी प्रागंण में मोबाईल क्लीनिंग सोर्टिंग मशीन (3 TPH) का संचालन हेतु DAM2627SSOB00142	61000 रुपये प्रतिमाह	236 रुपये	10000 रुपये	09.06.2026 प्रातः 10:00 बजे से 18.06.2026 को 12.00 PM तक	18.06.2026 को 01.00 PM तक	18.06.2026 को सभा भवन कार्यालय कृ.उ.म.स. देवली (टोंक) 02.00 PM से

बोली प्रपत्र व शर्तो का अवलोकन कार्यालय लोक उपापन पोर्टल **www.sppp.rajasthan.gov.in** व विभागीय पोर्टल **http://agriculture.rajasthan.gov.in/mandi** पर किया जा सकता है। तथा वेबसाइट से बोली प्रपत्र डाउनलोड कर प्रपत्र का मूल्य व धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/नगद जो कि कृषि उपज मण्डी समिति देवली के नाम से हो कॉलम संख्या 7 में वर्णित सहित निर्धारित दिनांक व समय तक कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

राज.संवाद/सी/26/4433
प्रशासक कृषि उपज मण्डी समिति देवली
सचिव कृषि उपज मण्डी समिति देवली

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगरपरिषद् कुचामन सिटी

Email : eo.mcorp.kuchaman@rajasthan.gov.in फोन नं. 01586-220022
munibkcity@gmail.com 01586-221526

क्रमांक :- न.प.कु./2026-27/1302 दिनांक :- 09.06.2026

लोक सूचना

निम्न लिखित आवेदको द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
1.	श्री मोडूराम पुत्र भुराराम जाति जाट	तहसील कुचामन सिटी, जिला डीडवाना-कुचामन	जसराना	531	3.4900 Hq. में से 0.3236 Hq.
2.	श्री ज्ञाना राम पुत्र रूपा राम जाति जाट, श्री राज कुमार पुत्र रिधा राम डुडी जाति जाट, श्री विनोद कुमार पुत्र शिव भगवान जाति ब्राह्म्ण	तहसील कुचामन सिटी, जिला डीडवाना-कुचामन	श्रवणपुरा	806/688 808/698	0.0500 Hq. 0.3401 Hq.
3.	श्री छीतरमल पुत्र मुन्नाराम जाति मेघवाल	तहसील कुचामन सिटी, जिला डीडवाना-कुचामन	सरगोठ	1615/422	0.3236 Hq.

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 09.06.2026 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी
आयुक्त नगरपरिषद् कुचामन सिटी

श्रद्धांजलि (सप्तम पुण्यतिथि)

स्व. श्रीमती शकुन्तला देवी शर्मा

धर्मपत्नी **स्व. वैद्य श्री घनश्याम जी शर्मा** निवासी श्रीमाधोपुर की सप्तम पुण्यतिथि (10.06.2026) पर सभी परिवारजन की ओर से

शत् शत् नमन एवं सादर श्रद्धांजलि

कैलाश शर्मा (राष्ट्रदूत) एवं उमा शर्मा (से.नि.प्रधानाध्यापिका), नरेन्द्र शर्मा (से.नि.एयरफोर्स) एवं दीपशिखा, सत्यप्रकाश शर्मा (Govt. Supplier (M.E.S.) एवं ज्योति शर्मा (से.नि.प्रिंसिपल सी.सै.स्कूल) (पुत्र-पुत्रवधु), बीना एवं नरेन्द्र भारद्वाज (से.नि.भारतीय स्टेट बैंक) (पुत्री-दामाद), प्रशांत एवं प्रिया (पौत्र-पौत्रवधु) एवं समस्त परिवारजन

मो.नं.- 9829264308, 9829360428, 9462694531

न्यायालय तहसीलदार फुलेरा मु. सांभरलेक जिला जयपुर

दूरभाष नम्बर 01425-224219
ई-मेल- tdrsbr@ymail.com

क्रमांक- भू.अ./2026/3204
दिनांक-09.06.2026

सार्वजनिक सूचना नोटिस

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण मंगलचन्द, श्रवणलाल, सीताराम पि. नानूडा उर्फ नानू जाति बलाई निवासी जावली तहसील फुलेरा द्वारा ग्राम फागणापुरा की आराजी खाता संख्या 58, 59 व ग्राम जावली की खाता संख्या 56 के मृतक खातेदार नानूडा दत्तक पुत्र भागीरथ जाति बलाई सा. देह का वसीयत दिनांक 20.08.2008 के आधार पर फौती नामान्तरण खुलवाने बाबत प्रकरण भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) के तहत हाजा न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः यदि किसी वारिस/दीगर व्यक्ति को कोई आपत्ति/एतराज हो तो आगामी दिनांक 16.06.2026 तक मय दस्तावेज पेश करें अन्यथा इकतरफा कार्यवाही कर निर्णय पारित कर दिया जावेगा।

तहसीलदार (भू.अ.)
फुलेरा मु. सांभरलेक

COLLEGE OF AGRICULTURE
(Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner)
Bhusawar - Bharatpur (Rajasthan) - 321406

No. :- F.( )/ Store/COAB/2026/191 Date :- 05/06/2026

NOTICE INVITING BID

Bid for open tender regarding hiring manpower (Agriculture Purpose) are invited from interested bidders upto 11 AM, 12.06.2026 other particulars of the bid may be visited on the procurement portal **(http://sppp.raj.nic.in)** of the state; **www.sknau.ac.in** University website.

NIB code SKN2627A0081 and UBN is SKN2627SSOB00081

Raj.Samwad/C/26/4422 DEAN

कार्यालय नगर पालिका निवाई

क्रमांकः-न.पा.नि./निर्माण/2026-27/1583 दिनांकः- 03.06.2026

ई. बोली सूचना संख्या :- 06/2026-2027

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निम्न कार्य के लिए उपयुक्त श्रेणी में नगर पालिका निवाई में पंजीकृत उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों एवं विभिन्न अभियान्त्रिकी विभागो के संबंधित श्रेणी में "A" "AA" श्रेणी में पंजीकृत संवेदको एवं स्वायत्त शासन विभाग में पंजीकृत उपयुक्त श्रेणी के संवेदको से, जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में निविदाएं आमन्त्रित की जाती है। निविदा फार्म ऑनलाईन वेबसाईट **www.sppp.rajasthan.gov.in** व 'http://www.eproc.rajsthan.gov.in पर देखा जा सकता है :-

बोली का कार्य	: NIB Code:- DLB2627A2623 (कुल 4 कार्य)
Unique Bid Number	DLB2627WSOB06520, 25, 27, 28
बोली की कुल लागत	: Rs 167.62 लाख (सभी कार्यो की अनुमानित लागत)
बोली जारी करने की दिनाक	: दिनांक 05.06.2026 को 13:00 बजे से
बोली दस्तावेजो को डाउनलोड करने की शुरूआती दिनांक व समय	: दिनांक 05.06.2026 को 13:00 बजे से
ऑन लाईन बोली जमा कराने की अन्तिम दिनांक	: दिनांक 16.06.2026 सांय 18.00 बजे तक
ऑनलाईन तकनीकी बिड खोलने की दिनांक	: दिनांक 18.06.2026 को अपराह 12:00 बजे
वित्तीय बिड खोलने की दिनांक व समय	: Will be Intimated latter to the Technically qualified Bidders
बिड की वैधता समयावधि	120 Day

राज.संवाद/सी/26/4386
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका निवाई